न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 66/2023 निर्णय दिनांक: 13.5.2026

ऑनलाईन नम्बर 2023/159

भरतराम पुत्र ज्ञानाराम जाति बावरिया निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. सूवाराम पुत्र भोलूराम जाति बावरिया निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. मंजू देवी पत्नी रघुवीर जाति प्रजापत निवासी बीदासर हाल श्रीडूंगरगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री ब्रजेश पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 12.1100 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर में स्थित है। प्रार्थी के खेत के दक्षिणी तरफ सीवां जोड़ खेत खसरा नम्बर 20 तादादी 5.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 588/25 तादादी 8.6100 हैक्टेयर है जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 सुवाराम के नाम से है तथा खसरा नम्बर 710/545 तादादी 5.0600 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 मंजूदेवी के नाम से है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 588/25 में से एक कटाणी रास्ता श्रीडूंगरगढ़ से बेनीसर की ओर जाता है । इस कटाणी रास्ते में से प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता सदामद से रहा है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेतों में चलता हुआ प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सींव तक जाता है जिसका नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। कटाणी रास्ता प्रार्थी के खेत से लगभग 200 मीटर दूर है तथा इस कटाणी रास्ता से फंटकर प्रार्थी के खेत में जो रास्ता जाता है उसकी चौड़ाई 5 मीटर व लम्बाई 200 मीटर है। यह रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करते है । इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई सुगम व सुलभ रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत के वर्णित रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बंद करते रहते है। आने जाने से रोकते है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 16.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 3 के यहां रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कार्यवाही कर रास्ता खुलवा दिया गया जिसकी फर्द मौका/कार्यवाही रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पुनः रास्ता में अवरोध पैदा कर रहे है तथा रास्ता पुनः बंद करने की फिराक में है। प्रार्थी के खातेदारी का

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 12.1100 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 588/25 तादादी 8.6100 हैक्टेयर (गै. मु. रास्ता 0.1300 हैक्टेयर) खसरा नम्बर 20 तादादी 5.0700 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 710/545 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही बेनीसर में श्रीडूंगरगढ़ बेनीसर कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 588ध्25 से फंटकर पश्चिमी दिशा में इसी खसरा में से चलता हुआ आगे खसर नम्बर 20 में से आगे अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 710/545 लगभग मध्य में से चलता हुआ पश्चिमी सींव सींव उतरी दिशा में चलता हुआ प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सींव में प्रवेश करता है जो रास्ता लगभग 200 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 1000 वर्गमीटर (0.1000 हैक्टेयेर) प्रार्थी के खेत के रास्ते को दर्शाते हुए नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें A से B कट्टाणी रास्ता व मार्ग C से D अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत से गुजरता हुआ प्रार्थी के खेत तक रास्ता दर्शाया गया है जो रास्ता प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है । यही रास्ता प्रार्थी के खेत में जाता है जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का अन्य रास्ता नहीं है। वर्णित रास्ते से ही प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता है । प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के खेत में से चले आ रहे रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी. एल. सी. रेट या ऐसे प्रतिकर के संदाय करने को तैयार है जो श्रीमान्जी द्वारा अवधारित किया जाये। वर्णित रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का है और यह प्रार्थी के खेत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। प्रार्थी खेत में पहुंचने के लिए वर्णित रास्ते के वैकल्पिक रास्ते के अभाव में है। प्रार्थी के विवादित रास्ता की भूमि रोही बेनीसर में स्थित है। वर्णित रास्ता आवश्यकता का है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 12.1100 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 588/25 तादादी 8.6100 हैक्टेयर (गै. मु. रास्ता 0.1300 हैक्टेयर) खसरा नम्बर 20 तादादी 5.0700 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 710/545 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही बेनीसर में श्रीडूंगरगढ़ बेनीसर कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 588/25 से फंटकर पश्चिमी दिशा में इसी खसरा में से चलता हुआ आगे खसर नम्बर 20 में से आगे अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 710/545 लगभग मध्य में से चलता हुआ पश्चिमी सींव सींव उतरी दिशा में चलता हुआ प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सींव में प्रवेश करता है जो रास्ता लगभग 200 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 1000 वर्गमीटर (0.1000 हैक्टेयर) प्रार्थी के खेत के रास्ते को दर्शाते हुए नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें A से B कट्टाणी रास्ता व मार्ग C से D अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत से गुजरता हुआ प्रार्थी के खेत तक रास्ता दर्शाया गया है को गैरमुमकिन रास्ता (कट्टाणी)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को दिया जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी के खेत की दक्षिणी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 20 तादादी 5.0700 हैक्टेयर है, जिस खेत में से कोई कटाणी रास्ता नहीं जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की आपसी दुरभिसंधि है, जो एक दूसरे से मिले हुये है । अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से ना तो कभी था व ना ही वर्तमान में है। प्रार्थी अपनी सुविधानुसार अप्रार्थी के खेत में से जबरन रास्ता निकालना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है, जो इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। जब अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से प्रार्थी के खेत का रास्ता जाता ही नहीं तो अप्रार्थी द्वारा रास्ता बन्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा ना तो रास्ता खुलवाया व ना ही प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष कोई कार्यवाही की गई। प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 587/25 में से जो कटाणी रास्ता है, उस रास्ता से फंटकर खसरा नम्बर 710/545 में से होकर खसरा नम्बर 21 में प्रवेश करता है व उसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु निकटतम खसरा नम्बर 587/25 में से ही है। प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से नया रास्ता कायम करना चाहता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 आपस में मिले हुये जो दोनो मिलकर अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान कर रहे है। प्रार्थी ने वर्णित रास्ता अपनी सुविधा से अपनी इच्छानुसार वर्णित किया है, जबकि धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार केवल मात्र अत्यन्त आवश्यकता होने व वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं होने पर ही आवेदन किया जा सकता है। प्रार्थी अपने खेत में हमेशा से खेत खसरा नम्बर 587/25 में से निकलने वाले कटाणी रास्ता से फंटकर खेत खसरा नम्बर 710/545 में से होते हुये अपने खेत में प्रवेश व उसी से आवागमन करता है, जिसका प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी अंकन नहीं किया है। अनुवानी प्रार्थना पत्र में हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 को प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट में मौका स्थिति व आस–पास के रास्ता को दर्शाते हुये नहीं की गई व ना ही प्रार्थी इस रास्ता से पूर्व प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

किस रास्ता से अपने खेत में जाता था व वह रास्ता अब क्यो बन्द कर दिया गया है तथा प्रार्थी अब मदहाजा में वर्णित रास्ता की मांग क्यो कर रहा है, इसका उक्त रिपोर्ट में कही पर भी अंकन नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रार्थी के कहेनुसार व उसकी सुविधानुसार तैयार की गई है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट ना तो अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में तैयार की गई व ना ही अप्रार्थी को कोई सूचना दी गई, हल्का पटवारी ने प्रार्थी के प्रभाव में आकर जो रास्ता कभी भी नही था, उस रास्ता को सुविधा का बताकर प्रस्तावित रास्ता बताया है, जो रिपोर्ट इकतरफा रिपोर्ट है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य दुरभिसंधि है । अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के प्रभाव में है, जो दोनो मिलकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से नाजायज रास्ता कायम करना चाहते है, जबकि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु हमेशा से रास्ता खसरा नम्बर 587/25 में से होकर जाता है व उसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता है। प्रार्थी अपनी सुविधानुसार रास्ता कायम करना चाहता है। प्रार्थी खसरा नम्बर 587/25 में से निकलने वाले कट्टाणी रास्ता से फंटकर खसरा नम्बर 710/545 में प्रवेश कर अपने खेत में आवागमन करता है, जो रास्ता प्रार्थी के खेत का निकटतम रास्ता है, लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त रास्ता का कही पर भी वर्णन नहीं किया है, क्योकि अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी आपस में मिले हुये है व इनकी दुरभिसंधि होने से द्वैषतावंश अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से अपनी सुविधानुसार नया रास्ता कायम करना चाहते है । अप्रार्थी संख्या 1 अनपढ़, काश्तकार व शान्तिप्रिय व्यक्ति है व कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है, जबकि प्रार्थी बदमाश, मुकदमाबाज व्यक्ति है, जिनका अप्रार्थी संख्या 1 शारीरिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है। प्रार्थी ने अपनी सुविधानुसार प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है, जो नजरी नक्शा ना तो नक्शा नवीश द्वारा तैयार किया गया है व ना ही मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरूप है, उक्त नजरी नक्शा प्रार्थी स्वयं द्वारा ही बनाया गया है, जिसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में श्रीडूंगरगढ़ से खेत खसरा नम्बर 589/25 तक जाने वाले रास्ते से होकर बेनीसर से धोलिया जाने वाले कटाणी मार्ग जो खसरा नम्बर 589/25, 588/25, 587/25 में से होकर जाता है, रास्ता से खसरा नम्बर 587/25 में से फंटकर खसरा नम्बर 710/545 में उस से होकर अपने खेत में हमेशा से आवागमन करता है । प्रार्थी ने खेत खसरा नम्बर 20 में से कभी भी आवागमन नहीं किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से दुरभिसंधि कर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से जबरन रास्ता निकालना चाहता है। खसरा नम्बर 20 में से प्रार्थी आज तक ना तो अपने खेत में गया व ना ही रास्ता चालू है । न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार हल्का पटवारी लखासर व भू.अ.नि. शेरूणा ने दिनांक 04.04.2025 को वादगत रास्ते की मौका रिपोर्ट तैयार की लेकिन मौका निरीक्षणकर्ता द्वारा ना तो अप्रार्थी को कोई सूचना दी व ना ही नोटिस की चस्पानगी की गई व ना ही किसी स्वतंत्र खेत पड़ौसियान के हस्ताक्षर करवाये गये जबकि न्यायालय श्रीमान् द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व दोनों पक्षों को सूचित कर उनकी मौजूदगी में रिपोर्ट बनाने का आदेश फरमाया गया था जिसकी कोई पालना नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत से खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

588/25 से कितनी दूरी है व खसरा नम्बर 587/25, 589/25 से कितनी कितनी दूरी है इस तथ्य का कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट किसी भी प्रकार से विधि संगत नहीं है*ना ही अप्रार्थी की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की है जो निरस्त फरमाई जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2021(2) जगदीश बनाम केशराराम आदि पेश की गई।

अप्रार्थीगण सख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 710/545 तादादी 5.06 हैक्टेयर रोही ग्राम बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के चिपते ही प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 12.11 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा व पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ही चला आ रहा है। मुझ अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के आवागमन के रास्ता में कोई बाध उत्पन्न नही की है। यह हैं कि मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के खेत में से प्रार्थी के खेत का रास्ता चालू हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत में से जो भूमि कट्टाणी रास्ता दर्ज के रूप में दर्ज की जा रही हैं उसकी प्रतिकर राशि मुझ अप्रार्थी संख्या 2 को दिलवायी जावें और चालू रास्ता को कट्टाणी रास्ता के रूप में दर्ज किया जावें एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि की प्रतिकर राशि अप्रार्थी संख्या 2 को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 13.02.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आपति मौका रिपोर्ट का पेश किया गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आपति मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 23.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दिनांक 13.02.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपति मौका रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से पुनः मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पटवारी से उच्च स्तर के अधिकारी/ कार्मिक से तैयार कर प्रस्तुत करनें हेतु आदेश जारी किये। तत्पश्चात तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 28.05.2025 को भू.अ.नि. शेरूणा व पटवारी हल्का लखासर की और से संयुक्त रूप से तैयार मौका रिपोर्ट पुनः पेश की गई। जिस पर अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आये है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 13.022024 व 28.05.2025 में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 21 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 588/25 में गुजर रहे कटानी रास्ता से फंटकर खेत खसरा नंबर 20 व 710/545 के अलावा नहीं होना अंकित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 02 (खातेदार खसरा नंबर 710/545) द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता बाबत् अपनी सहमति प्रदान की गई है। अप्रार्थीगण संख्या 01 की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खातेदारी जोत में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत तक पहुंच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में नहीं होने व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 21 तादादी 12.1100 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ में अप्राथीगण संख्या 01 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 588/25 में से गुजर रहे कटटाणी रास्ता से 86 मीटर व अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 20 में से 125 मीटर व खसरा नंबर 710/545 में से 310 मीटर कुल लम्बाई 521 मीटर व 5 मीटर चौडा रास्ता गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि रास्ते में उपयोग मे ली जायेगी। प्रार्थी, खेत खसरा नंबर 588/25 वाकेरोही बेनीसर के खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 को **86** मीटर (430 वर्गमीटर, 0.043 हैक्टेयर) डी.एल.सी. दर 764000/प्रति हैक्टेंयर के एवज में दुगनी प्रतिकर राशि 65,704/–रूपये, खसरा नंबर 20 वाकेरोही बेनीसर के खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 को **125** मीटर (625 वर्गमीटर, 0.0625 हैक्टेयर) डी.एल.सी. दर 764000/प्रति हैक्टेंयर के एवज में दुगनी प्रतिकर राशि 95,500/–रूपये एवं खेत खसरा नंबर 710/545 वाकेरोही बेनीसर के खातेदार **अप्रार्थी संख्या 2 को 310** मीटर (1550 वर्गमीटर, 0.155 हैक्टेयर) डी.एल.सी. दर 764000/प्रति हैक्टेंयर के एवज में दुगनी प्रतिकर राशि 2,36,840 रूपये) प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि का बैक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत खसरा नम्बर 588/25, 20, 710/545 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

क्रंमाकः एसडीओ/कोर्ट/2026/298 दिनांकः 19.05.2026

संशोधित आदेश

न्यायालय हाजा अनवान भरतराम बनाम सुवाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 13.05.2026 में जहा–जहां डीएलसी दर 764000/–प्रति हैक्टेयर अंकित की गई है उसके स्थान पर डीएलसी दर 364650/–प्रति हैक्टयर अंकित कर तद्नुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 588/25 वाकेरोही बेनीसर में से 86 मीटर (430 वर्गमीटर,0.043 हैक्टेयर) डीएलसी दर 364650/प्रति हैक्टेयर के एवज में दुगनी प्रतिकर राशि 31360/–रूपये, खसरा नंबर 20 वाकेरोही बेनीसर के खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 को 125 मीटर (625 वर्गमीटर, 0.0625 हैक्टेयर) डीएलसीदर 364650/ प्रति हैक्टेयर के एवज में दुगनी प्रतिकर राशि 45581/रूपये एवं खेत खसर नंबर 710/545 वाकेरोही बेनीसर के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 को 310 मीटर (1550 वर्गमीटर, 0.155 हैक्टेयर) डीएलसीदर 364650/–प्रति हैक्टेयर के एवज में दुगनी प्रतिकर राशि 113041/रूपये अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ